

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

क्रमांक 132/एफ-2013-04-00416/वि/नि/चार अटल नगर, दिनांक 8 मार्च, 2019
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.01.2018 एवं 01.07.2018 से मंहगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें


वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 253/एफ 2013-04-00416 /वि/नि/चार, दिनांक 29 मई, 2018 एवं 257/एफ 2013-04-00416 /वि/नि/चार, दिनांक 29 मई, 2018 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह जुलाई, 2017 से सातवें वेतनमान में 5% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 139% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:-

अवधि जब से देय	मंहगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01-01-2018 से दिनांक 01-07-2018 से	2% कुल (7%) 2% कुल (9%)
छठवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01-01-2018 से दिनांक 01-07-2018 से	3% कुल (142%) 6% कुल (148%)

- (2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-
1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का माह मार्च, 2019 के वेतन (अप्रैल 2019 को भुगतान योग्य) से नगद भुगतान किया जाएगा। एरियर भुगतान पर पृथक से निर्णय लिया जाएगा।
 2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
 3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
 4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
 5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
 6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.के. चक्रवर्ती) 8/3/2019
संयुक्त सचिव

क्रमांक 133/एफ-2013-04-00416/वि/नि/चार अटल नगर, दिनांक 8 मार्च, 2019

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, अटल नगर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, अटल नगर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, अटल नगर
 9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, अटल नगर
 10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 11. राज्य सूचना आयुक्त, अटल नगर
 12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, अटल नगर
 13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर
 14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, अटल नगर
 15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट WWW.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु


(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव